(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3601–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–10–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 487/अपील/2014–15.

ठाकुर कीर्तिसिंग पिता स्व. ठाकुर जीतसिंह
निवासी ग्राम बोरी हाल मुकाम झाबुआ .....आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार जोबट
जिला अलीराजपुर
2– मुंशी पिता मुगल्या
निवासी ग्राम बोरी तहसील जोबट .....अनावेदकगण

श्री एस0जी0 गोखले, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा तहसीलदार, जोबट के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बोरी स्थित पुलिस थाना भवन, शासकीय अस्पताल भवन, पुराना डॉक्टर क्वार्ट्स, पुराना वार्ड क्लब की भूमि जो कि पुराना अमला लाईन के नाम से मशहूर है, पर आवेदक कीतिसिंह एवं आदित्य सिंह द्वारा अवैध कब्जा कर उसे किराये पर देने एवं विकय करने का प्रयास किया जा रहा है, अतः कब्जा प्राप्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 645/बी–121/2012–13 दर्ज कर दिनांक 8–4–13 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 2 का आवेदन पर निरस्त किया गया । तत्पश्चात आवेदक कीर्तिसिंह द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन सम्पत्तियों के संबंध में खसरे के कॉलम नं. 12 में आदेश दिनांक

16–5–12 से आवेदक का नाम दर्ज किया गया है एवं दिनांक 8–4–13 को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 2 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, अतः प्रश्नाधीन सम्पत्तियों पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 109/बी–121/14–15 दर्ज कर दिनांक 12–11–14 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, जोबट के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–8–15 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–10–15 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–5–12 के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–4–13 को पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16–5–12 को निरस्त किया गया है, और आवेदक द्वारा आदेश दिनांक 16–5–12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाना मान्य करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 16–5–12 के आधार पर की गई प्रविष्टि को आदेश दिनांक 8–4–13 के आलोक में निरस्त कर पूर्व स्थिति लाने का निवेदन किया गया था, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 44 की भावना के अनुरूप था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के साथ जागीर समाप्ति विधान की छायाप्रति, 1953 ए.आई.आर. (एम.बी.) पेज 97 में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा पारित निर्णय की छायाप्रति, जागीर उन्मूलन अधिनियम, 2008 की प्रति एवं कलेक्ट्रोरेट में दिनांक 18–9–1957 को आयोजित की गई मीटिंग की प्रोसीडिंग की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी, जिनके आधार पर ही तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 16–5–12 निरस्त किया गया था, किन्तु अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांत एवं दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन सम्पत्तियां शासकीय सम्पत्तियां हैं, जिन पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किया जाकर राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम दर्ज किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 12–11–14 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 16–5–12 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय इन्द्राज किया गया है, जिसके विरूद्ध पुनः जॉच करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 8–4–13 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया है । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं कर तहसील न्यायालय में पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि तहसील न्यायालय को दिनांक 16–5–12 को आदेश पारित करने के पश्चात पुनः प्रकरण के निराकरण की अधिकारिता नहीं रहती है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में जारी अंतरिम स्थगन, निगरानी में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकता है । इसी आशय के निष्कर्ष दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले जाकर तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर